

**न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज.**

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर विश्णोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 82/2020
GCMSNo.- : 2020/00209

--: वादीगण :-

बनाम

--: प्रतिवादीगण :-

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र
चांदमल सिंगारिया
जाति- रेगर, निवासी अम्बेडकर
कालोनी, राजमहल होटल के
पीछे ब्यावर, जिला अजमेर
(राज.) 2. डालचन्द पुत्र छितरमल जी
जाति- भाम्बी निवासी
आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम
2/28, गडडी योरियान
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर
तहसील ब्यावर, जिला अजमेर। 3. चम्पालाल पुत्र गुलाराम,
जाति- मेघवाल, निवासी गांव
बाइसा, तहसील मारवाड़
जंक्शन, जिला पाली। 4. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल,
जाति- नायक, निवासी कोहिनूर
मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी,
देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील
ब्यावर जिला अजमेर (राज.)। | <ol style="list-style-type: none"> 1. गणपतलाल गोद पुत्र नारायण, 2. मतुदेवी पुत्री आसूराम 3. सुरेश पुत्र शंकर 4. पारस पुत्र मिसरू 5. मोहनराम पुत्र रामा 6. साबूराम पुत्र रामा 7. प्रेम पुत्री रामा
जातियान- भाम्बी निवासीगण-
भीवंगढ, तहसील जैतारण,
जिला पाली। 8. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द
जाति- भाम्बी, निवासी-
कुमावतो का मोहल्ला
गोविन्दगढ़ तहसील पिसांगन,
जिला अजमेर। 9. तहसीलदार एवं उपपंजियन
अधिकारी महोदय, जैतारण
जिला पाली (राज)। |
|---|---|

दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजु:07/10/2020

उपस्थित: 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 28/07/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भीवंगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2147 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 2148 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 2149 रकबा 47 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 2149/1 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 51 बीघा 01 बिस्वा की आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 473/720 हिस्से यानि 33 बीघा 10 बिस्वा 15 बिस्वा भूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कब्जा व काश्त है। मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामिलती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्बन्धित 2072 से 2075 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है, जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जाये। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 473/720 हिस्से यानि 33 बीघा 10 बिट्वा 15 बिस्वांसी हिस्से की भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीगण का अलग से कब्जा व काश्त है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी भूमि अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने से दिनांक 30/08/2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने के अधिकारी है। इसलिए यह दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वाद तकासमा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है, वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसीटी आफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार रामा पुत्र सरदारा फोत हो चुका है। रामा पुत्र सरदारा के विधिक वारिस मोहनराम पुत्र रामा, साबूराम पुत्र रामा, प्रेम पुत्री रामा है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। रामा पुत्र सरदारा के ओर कोई विधिक वारिसान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जो बंटवाडे के वाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर पटेल
उपरखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भूक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30/08/2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण का वादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ(रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या एक से नौ को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा०मि० है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भीवंगढ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरुबे राजस्व रेकर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, परन्तु खसरा नम्बर 2148 रकबा 0-08 बीघा व खसरा नम्बर 2149/1 रकबा 0-02 बीघा गैर मुमकिन बैरा होने से इनका बंटवाडा नहीं जा सकता है, शेष खसरा नम्बर 2147 व 2149 में वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा०डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भीवंगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2147 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही दायम, खसरा नम्बर 2149 रकबा 47 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही दाय, खसरा नम्बर 2148 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा व खसरा नम्बर 2149/1 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाडा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1171 दिनांक 24/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू०अ०/21/1857 दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाडा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाडा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं

सहायक कोललेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पूलाजा रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आवेश ::-


अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद जीजा भीचंगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2147 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 2149 रकबा 47 बीघा 19 बिस्वा किरम चाही दोयम, खसरा नम्बर 2148 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा किरम गै. मु. बेरा व खसरा नम्बर 2149/1 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा किरम गै. मु. बेरा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वलदियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किरम	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम - रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) हि. 13625/23177, डालचन्द पुत्र छितरमल जी कौम - भाम्बी निवासी आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हि. 6492/23177, चम्पालाल पुत्र गुलाराम, कौम- मेघवाल, निवासी गांव बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हि. 3060/23177,	2147	1-14	चा0दो0	4.65
		2149	31-10	चा0दो0	86.62
		योग 2	33-04		
2	गणपतलाल गोद पुत्र नारायण हि. 30/247, मतुदेवी पुत्री आसूराम हि. 12/247, पारस पुत्र मिसरु हि. 15/247, सुरेश पुत्र शंकर हि. 30/247, रामा पुत्र सरदारा के कायम मुकाम पर मोहनराम पुत्र रामा हि. 80/741, साबुराम पुत्र रामा हि. 80/741, प्रेमी पुत्री रामा हि. 80/741, कौम भाम्बी, कानाराम पुत्र गुलाबराम कौम- मेघवाल सा. गोविन्दगढ़ हि. 80/247 खातेदार	2149/2	03-00	चा0दो0	8.25
		2149/3	03-00	चा0दो0	8.25
		2149/4	10-09	चा0दो0	28.75
		2147/1	00-18	चा0दो0	2.48
		योग 4	17-07		
3.	गणपतलाल गोद पुत्र नारायण हि. 1/24, मतुदेवी पुत्री आसूराम हि. 1/60, सुरेश पुत्र शंकर हि. 1/24, पारस पुत्र मिसरु हि. 1/48, रामा पुत्र सरदारा के कायम मुकाम पर मोहनराम पुत्र रामा हि. 1/27, साबुराम पुत्र रामा हि. 1/27, प्रेमी पुत्री रामा हि. 1/27, कौम- भाम्बी	2148	0-08	गै0मु0 बेरा	
		2149/1	0-02	गै0मु0 बेरा	0.50
		2	0-10		0.85


सहायक कलक्टर बदन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सा. देह, कानाराम पुत्र गुलाबराम कौम
मेघवाल सा. गोविन्दगढ़ हि. 1/9,
अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल
सिंगारिया कौम - रेगर, सा. अम्बेडकर
कालोनी, राजमहल होटल के पीछे
ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) हि.
2725/7056, चम्पालाल पुत्र गुलाराम,
कौम- मेघवाल, सा. गांव बाइसा,
तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली
हि. 17/196, डालचन्द पुत्र छितरमल
जी जाति- भाम्बी सा. आदर्शनगर
अजमेर हालमुकाम 2/28, गडडी
थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर
तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हि.
541/2940, खातेदार

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट
विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे
काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं।
डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय अंश दिनांक 28/07/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)



डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

:- वादीगण :-

बनाम

:- प्रतिवादीगण :-

1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र

चांदमल सिंगारिया

जाति- रेगर, निवासी

अम्बेडकर कालोनी, राजमहल
होटल के पीछे ब्यावर, जिला
अजेमर (राज.)

2. डालचन्द पुत्र छितरमल जी

जाति- भाम्बी निवासी

आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम
2/28, गडडी थोरियान
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर
तहसील ब्यावर, जिला
अजमेर।

3. चम्पालाल पुत्र गुलाराम,

जाति- मेघवाल, निवासी गांव
बाइसा, तहसील मारवाड़
जंक्शन, जिला पाली।

4. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल,

जाति- नायक, निवासी
कोहिनूर मार्बल के पीछे,
गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड
ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला
अजमेर (राज.)।

1. गणपतलाल गोद पुत्र नारायण,

2. मतुदेवी पुत्री आसूराम

3. सुरेश पुत्र शंकर

4. पारस पुत्र मिसरू

5. मोहनराम पुत्र रामा

6. साबूराम पुत्र रामा

7. प्रेम पुत्री रामा

जातियान- भाम्बी निवासीगण-
भीवंगढ, तहसील जैतारण, जिला
पाली।

8. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द

जाति- भाम्बी, निवासी- कुमावतो
का मोहल्ला गोविन्दगढ़ तहसील
पिसांगन, जिला अजमेर।


9. तहसीलदार एवं उपपंजियन

अधिकारी महोदय, जैतारण जिला
पाली (राज.)।राजस्व वाद बाबत बँटवाड़ा व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 82/2020

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु व
हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर
हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक
वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भीवंगढ
पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली
वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2147
रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 2149 रकबा 47 बीघा
19 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 2148 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा किस्म
गै. मु. बेरा व खसरा नम्बर 2149/1 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा
भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन
निम्नांकित रूप से किया जाता है :-


सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बि स्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम - रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) हि. 13625/23177, डालचन्द पुत्र छितरमल जी कौम - भाम्बी निवासी आदर्शनगर अजेमर हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजेमर हि. 6492/23177, चम्पालाल पुत्र गुलाराम, कौम- मेघवाल, निवासी गांव बाइसां, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हि. 3060/23177,	2147	1-14	चा0दो0	4.65
		2149	31-10	चा0दो0	86.62
		योग 2	33-04		
2	गणपतलाल गोद पुत्र नारायण हि. 30/247, मतुदेवी पुत्री आसूराम हि. 12/247, पारस पुत्र मिसरु हि. 15/247, सुरेश पुत्र शंकर हि. 30/247, रामा पुत्र सरदारा के कायम मुकाम पर मोहनराम पुत्र रामा हि. 80/741, साबुराम पुत्र रामा हि. 80/741, प्रेमी पुत्री रामा हि. 80/741, कौम भाम्बी, कानाराम पुत्र गुलाबराम कौम- मेघवाल सा. गोविन्दगढ़ हि. 80/247 खातेदार	2149/2	03-00	चा0दो0	8.25
		2149/3	03-00	चा0दो0	8.25
		2149/4	10-09	चा0दो0	28.75
		2147/1	00-18	चा0दो0	2.48
		योग 4	17-07		
3.	गणपतलाल गोद पुत्र नारायण हि. 1/24, मतुदेवी पुत्री आसूराम हि. 1/60, सुरेश पुत्र शंकर हि. 1/24, पारस पुत्र मिसरु हि. 1/48, रामा पुत्र सरदारा के कायम मुकाम पर मोहनराम पुत्र रामा हि. 1/27, साबुराम पुत्र रामा हि. 1/27, प्रेमी पुत्री रामा हि. 1/27, कौम- भाम्बी सा. देह, कानाराम पुत्र गुलाबराम कौम मेघवाल सा. गोविन्दगढ़ हि. 1/9, अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम - रेगर, सा. अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) हि. 2725/7056, चम्पालाल पुत्र गुलाराम, कौम- मेघवाल, सा. गांव बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हि. 17/196, डालचन्द पुत्र छितरमल जी जाति- भाम्बी सा. आदर्शनगर अजेमर हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजेमर हि. 541/2940, खातेदार	2148	0-08	गै0मु0 बेरा	
		2149/1	0-02	गै0मु0 बेरा	0.50
		योग 2	0-10		0.85

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए रखाई विवेधाना रोका जाता है।
डिक्री पर्व बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। बाद तकमील जास्ता दाखिल दपतर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय यूद व
शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख घसूल याबी तक-.....को अदा
करे ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/07/2021 को
जारी किया गया ।



(Signature)
सहायक कलेक्टर एंड
उपखण्ड अधिकारी, अतारण
(जिला-पाली)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	- 00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		1	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	- 00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		1	मुत्फरिक		
मिजान:-	07	- 00	मिजान:-		- Ni' -

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया
गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।